न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33 / 2023 **दायर दिनांकः 13.06.2023**

उनवान

1. जमनालाल उम्र 74 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. भरोसी बाई पत्नि छीतरलाल जाति मीणा
2. रामपति बाई पत्नि हंसराज जाति मीणा
3. कलावती बाई पत्नि रामहेत जाति मीणा निवासीगण हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवाई (पूर्व बैंक एसबीबीजे कवाई) तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन
प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव प्रतिवादी क्रम 1 ता 3
विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रतिवादी क्रम 4

निर्णय दिनाकः 10.09.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां में वादी जमनालाल के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 106 का ख. नं. 200 का रकबा 0.07 हे०, ख.नं. 201 का रकबा 0.40 हे०, ख.नं. 232 का रकबा 0.23 हे०, ख.नं. 235 का रकबा 1.68 हे0, ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 2.60 हेक्टर आराजी स्थित थी। वाद पत्र के साथ में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2052 से 2055, 2056 से 2059,

2060 से 2063, 2064 से 2067 पेश है जो क़ाबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज सम्पूर्ण आराजी कुल किता 5 का कुल रकबा 2.60 हेक्टर में से वादी द्वारा आराजी ख.नं. 200 का रकबा 0.07 हे0, ख.नं. 201 का रकबा 0.40 हे0, ख.नं. 232 का रकबा 0.23 हे०, ख.नं. 235 का रकबा 1. 68 हे० आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख द्वारा बहक अशोक कुमार, कौशल किशोर पिसरान मदनलाल जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू को कर दिया था जो खरीददारान अशोक कुमार, कौशलकिशोर के नाम खाता दर्ज हो गई है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2063 तथा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 काबिल गौर है लेकिन प्रतिवादी क्रम 5 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा सम्वत् 2061 से 2063 के बाद की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 तैयार करते समय अज्ञानतावश, भूलवश या लापरवाही पूर्वक राजस्व कार्य करते समय वादी के खाते की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते की आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में दर्ज कर दी और वादी के नाम की कोई नई जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 की ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 की नही बनाई गई। वादी अपने स्वामित्व, खाते की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे० को शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। वादी दिनांक 15/02/2023 को ई–मित्र सेवा केन्द्र पर अपने खाते की आराजी की नकल निकलवाने गया तो नकल निकालने पर वादी को जानकारी में आया कि वादी के खाते की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे० आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते की आराजी ख.नं. 1081 का रकबा 0.77 हे०, ख.नं. 2177/1081 का रकबा 0.77 हे0 की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में ख. नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 भी दर्ज कर दिया है जोड़ दिया है जबकि वादी द्वारा उक्त आराजी का बेचान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के पक्ष में नहीं किया गया है लेकिन आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 की प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज होने की जानकारी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को हो चुकी है। इसी क्रम में दिनांक 30/02/2023 को प्रतिवादीगण के पति वादी के पास आये और धमकी दी कि इस वर्ष की फसल काट कर जमीन ख. नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 पर से कब्जा हटा लेना यह जमीन हमारे खाते की है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को तथा उनके पतियो को उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं है। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक कृत्य में सफल रहे और उनके खाते में ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे० आराजी जो वादी के खाते की है दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर जबरन कब्जा कर

लिया तो वादी अपने स्वामित्व की आराजी से वंचित हो जावेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि इन्द्राज दुरूश्त करते हुये वादी के खाते की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 माल हाथी दीलोद तहसील अटरू की प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज हो गई उसको पुनः वादी के खाते दर्ज करते हुये वादी को ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हेक्टर पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे० को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 में से जिस खातेदार ने ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 पर बैंक से ऋण ले रखा है वह स्वयं ऋणी से जमा कराने के आदेश प्रदान करें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15/02/2023 को वादी द्वारा अपने खाते की ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हेक्टर की नकल ई–मित्र सेवा केन्द्र से निकलवाने पर उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज होने की जानकारी होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 30/02/2023 को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के पतियो द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा धारा 80 सी०पी०सी० का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी दो माह जिला कलेक्टर महोदय बारां को प्रेषित कर दिया है लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 जबरन वादी के स्वामित्व की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हेक्टर माल हाथी दीलोद पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है। इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का बनने की वजह से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना धारा 80(2) सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र के साथ में वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सी०पी०सी० स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावे। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हाथी दीलोद तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि :–

(अ) इन्द्राज दुरुश्त करते हुये खाता संख्या 303 में दर्ज आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हेक्टर माल हाथी दीलोद की जो प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते में सहवन से दर्ज हो गई को पूर्व रिकार्ड के मुताबिक वादी के खाते दर्ज किया जावे अर्थात उक्त ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके खाते की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे० माल हाथी दीलोद को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) जिस प्रतिवादीगण ने ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 पर ऋण ले रखा है वह स्वयं ऋणी अदा करें।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद न. 1 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 2 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 3 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 4 में बैंक ऋण लिया जाना स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 5 का विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 6 ता 9 कानूनी है। प्रार्थना व अनुतोष वादी अस्वीकार है।

विशेष कथन जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र

वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी मे खसरा नं. 861 का रकबा 0.22 है0 आराजी जो कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दर्ज खाता चली आ रही है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का निर्बाध रूप से वर्षों से कब्ज़ा चला आ रहा है लेकिन जुलाई माह 2023 में वादी ने जबरन दादागिरी की दम पर उक्त खसरा नं. के रकबे को हांक कर फसल सोयाबीन बो दी है जो कि अवैधानिक व गैर कानूनी है। उक्त आराजी जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के 1/3, 1/3 हिस्से में खाते दर्ज है पर से वादी को बेदखल कर कब्ज़ा प्रतिवादीगणों को दिलवाया जावे। वाद कारण दिनांक 03/07/2023 को वादी द्वारा प्रतिवादीगणों के खाते की भूमि को हांककर फसल सोयाबीन बोने पर प्रतिवादीगणों द्वारा वादी से मना करने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम

हाथी दिलोद तहसील अटरू में होने से माननीय न्यायलय को इस प्रतिवाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है जो उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः श्रीमान की सेवा में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जवाब दावा दावा मय प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खाते दर्ज है खसरा नं. 861 का रकबा 0.22 है0 पर से वादी को बेदखल कर कब्ज़ा प्रतिवादीगणों को दिलवाया जावे ।

प्रतिवादी क्रम 4 की और से जवाब पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं० 1 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। वाद पत्र की मद न० 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 जानकारी के अभाव स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 8 कानूनी हैं। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 कानूनी है। अनुतोष वादीगण स्वीकार नही है अपितु कथन है कि विशेष विवरण विशेष आपत्तियो मे दर्ज हैं।

विशेष आपत्तियां जवाब दावा

प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 ने वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित अपने हिस्से की आराजी पर प्रतिवादी क्रम 4 के यहा रहन रख कर ऋण प्राप्त कर रखा है। जिसके रहन का नोट जमाबन्दी पर अंकित हैं। जो ऋण बकाया चल रहा है। अतः प्रतिवादी क्रम 4 का समस्त ऋण अदा नही होने तथा रहन मुक्ति प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश नहीं होने तक माननीय न्यायालय राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हिस्से एवं रकबे में किसी प्रकार का फेरबदल नही करे जिसका प्रतिवादी क्रम 4 अधिकारी हैं।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 अपने हिस्से की रहनशुदा आराजी का समस्त ऋण अदा करके रहन मुक्ति प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय में पेश नही होने तक माननीय न्यायालय राजस्व रिकार्ड जमादीस्से हिस्से एवं रकबे में किसी प्रकार का फेरबदल नही किया जावें।

प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया ।

अभिभाषक वादी द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया कि जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 6 कानूनी है।

विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब

विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 पूरा ही असत्य है क्योंकि ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 का खातेदार वादी ही है जिसका रिकार्ड पत्रावली में पेश है। विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है। विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन करता है कि प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा वादी का वाद डिक्री फरमाते हुए इन्द्राज दुरूस्त करते हुए ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 पर से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

दावे व जवाब के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं. 1– आया कि ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 वादी के शामलाती खाते की आराजी मे दर्ज था जैसा कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के खाते की आराजी है जिसकों राजस्व कर्मचारियों ने नई जमाबन्दी बनाते समय प्रतिवादीगण के खाते दर्ज कर दिया जो कब्जे में वादी के है।

वादी

तनकी नं. 2– आया कि इन्द्राज दुरूस्त कराकर वादी ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 माल दिलोदहाथी को अपने नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं. 3– आया कि ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 आराजी पर प्रतिवादीगण ने ऋण लिया है जिसको प्रतिवादीगण से अदा करा पाने का अधिकारी है।

वादी

तनकी नं. 4– आया कि ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज चली आ रही है जिस पर प्रतिवादीगण का वर्षों से कब्जा था लेकिन जुलाई 2023 में वादी ने उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया जिसकों बेदखल कराकर प्रतिवादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 3

साक्ष्यवादी के तहत Pw1 जमनालाल पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी दिलोदहाथी तहसील अटरू का शपथ पत्र पेश किया तथा सशपथ बयान दर्ज किये गये। साक्ष्यवादी ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया कि ग्राम एवं माल हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां में मेरे कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 106 का ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 आराजी को प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2063 के बाद में जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 तैयार करते समय सहवन से भूलवश मेरे खाते की आराजी ख. नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के नाम खाते दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 को मैं जन्म से ही काश्त कर रहा हूं और आज ही मेरे ही कब्जे काश्त में है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के गलत दर्ज हुई है जिसका मैं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्त कराकर माल दिलोद हाथी की आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 को मैं मेरे नाम खाते दर्ज करवा पाने का अधिकारी हूं।

साक्ष्यप्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द किये गये।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सूनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया ग्राम एवं माल हाथीदिलोद तहसील अटरू जिला बारां में मेरे कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 106 का ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 आराजी को प्रतिवादी क्रम 5 द्वारा उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2063 के बाद में जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 तैयार करते समय सहवन से भूलवश मेरे खाते की आराजी ख. नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के नाम खाते दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी ख.नं. 861 का रकबा 0.22 हे0 को मैं जन्म से ही काश्त कर रहा हूं और आज ही मेरे ही कब्जे काश्त में है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के गलत दर्ज हुई है। अतः ग्राम हाथीदिलोद के ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 आराजी में वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

अभिभाषक प्रतिवादीगण ने उक्त बहस का पूरजोर विरोध किया तथा कथन किया कि वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी मे खसरा नं. 861 का रकबा 0.22 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के दर्ज खाता चली आ रही है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का निर्बाध रूप से वर्षों से कब्ज़ा चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के 1/3, 1/3 हिस्से में खाते दर्ज है पर से वादी को बेदखल कर कब्ज़ा प्रतिवादीगणों को दिलवाया जावे।

पुनः वाद पत्र/प्रतिवाद पत्र, पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अध्ययन कर विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्नानुसार हैः–

तनकी नं0 1 :– जमाबन्दी सेटलमेंट विभाग ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू (प्रदर्श– P3) खाता संख्या 193 के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 आराजी कान्हा पुत्र नारायण जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2052–2055 (प्रदर्श– P4) के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 आराजी कान्हा पुत्र नारायण जाति मीना सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी जो मृतक कान्हा के बजाय जमनालाल पुत्र कान्हा के नाम दर्ज की गई।

जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2056–2059 (प्रदर्श– P5) के अनुसार खाता संख्या नया 106 पुराना 46 के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 आराजी जमनालाल पुत्र कान्हा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है।

उक्त जमाबन्दीयों के अनुसार उक्त भूमि कान्हा पुत्र नारायण के खाते की थी तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात कान्हा के वारिसान के नाम दर्ज हुई।

जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2060–2063 (प्रदर्श– P6) के अनुसार खाता संख्या नया 121 पुराना 106 के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 आराजी जमनालाल पुत्र कान्हा जाति मीणा सा0 देह

खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 05.08. 2009 से ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.38 है0 भूमि केता अशोक कुमार, कोशल किशोर पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज के नाम खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 आराजी के बेचान/हस्तानान्तरण का कोई विवरण नही है।

जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2064–2067 (प्रदर्श– P7) के अनुसार खाता संख्या नया 21 पुराना 21 के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.38 है0 अशोक कुमार, कोशल किशोर पुत्र मदनलाल जाति मीणा सा0 उम्मेदगंज दर्ज रिकार्ड स्थिति है।

जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श– P8) के अनुसार खाता संख्या नया 336 पुराना 329 के अनुसार ख0नं0 1081 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 2177/1081 रकबा 0.77 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.76 है0 आराजी वर्तमान में कलावती पत्नी रामहेत, भरोसी बाई पत्नी छीतरलाल व रामपतिबाई पत्नी हंसराज के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है।

उपरोक्त विवरण व विश्लेषण के आधार पर ग्राम दिलोदहाथी के ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 पूर्व में कान्हा पुत्र नारायण जाति मीना के नाम दर्ज था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात जमनालाल पुत्र कान्हा के नाम दर्ज हुई। जमाबन्दी (प्रदर्श– P6) के अनुसार नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 05.08.2009 से ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.38 है0 भूमि केता अशोक कुमार, कोशल किशोर पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज के नाम खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। लेकिन ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 का उल्लेख नही है।

अतः तनकी नं0 1 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 2 :– जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2060–2063 (प्रदर्श– P6) के अनुसार खाता संख्या नया 121 पुराना 106 के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 व ख0नं0 861 रकबा

0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 आराजी जमनालाल पुत्र कान्हा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 05.08.2009 से ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.38 है0 भूमि क्रेता अशोक कुमार, कोशल किशोर पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज के नाम खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। लेकिन ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 आराजी का उल्लेख नही है तथा प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में ख0नं0 861 का रकबा 0.22 है0 आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज होने के बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य पेश नही किया गया है।

अतः तनकी नं0 2 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नं0 3 :– जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श– P8) के अनुसार खाता संख्या नया 336 पुराना 329 के अनुसार ख0नं0 1081 रकबा 0.77 है0, ख0नं0 2177/1081 रकबा 0.77 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.76 है0 आराजी वर्तमान में कलावती पत्नी रामहेत, भरोसी बाई पत्नी छीतरलाल व रामपतिबाई पत्नी हंसराज के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 ने 1/3 हिस्से पर लोन ले रखा है। ऋण लेने वाले को ही ऋण अदा करने की नियमानुसार तय प्रक्रिया है।

अतः तनकी नं0 3 का निर्णय भी वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं0 4 :– तनकी नं0 1 के विवरण व विश्लेषण से स्पष्ट है कि ग्राम दिलोदहाथी का ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 आराजी जमाबन्दी सेटलमेंट विभाग ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू (प्रदर्श– P3) के अनुसार में कान्हा पुत्र नारायण के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित थी। जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2056–2059 (प्रदर्श– P5) के अनुसार जमनालाल पुत्र कान्हा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है। जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू सम्वत 2060–2063 (प्रदर्श– P6) के अनुसार खाता संख्या नया 121 पुराना 106 के अनुसार ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0, ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 व ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.60 है0 आराजी जमनालाल पुत्र कान्हा जाति मीणा सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड स्थित है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 05.08.2009 से ख0नं0 200 रकबा 0.07 है0 खसरा नं0 201 रकबा 0.40 है0,

ख0नं0 232 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 235 रकबा 1.68 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.38 है0 भूमि क्रेता अशोक कुमार, कोशल किशोर पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी उम्मेदगंज के नाम खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है लेकिन ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 आराजी का कोई उल्लेख नही है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 ने उक्त आराजी पर कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही किया है तथा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 पर से वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलवाने का कथन किया है। अतः वादी का उक्त भूमि पर कब्जा साबित है। लेकिन ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 आराजी किस प्रकिया से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज हुई को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकी नं0 4 का निर्णय वादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तनकीवार निर्णय के आधार पर वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। आराजी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 336 पुराना 329 के ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे में दखलंदाजी नही करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2023 **दायर दिनांकः 13.06.2023**

उनवान

1. जमनालाल उम्र 74 वर्ष पुत्र कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. भरोसी बाई पत्नि छीतरलाल जाति मीणा
2. रामपति बाई पत्नि हंसराज जाति मीणा
3. कलावती बाई पत्नि रामहेत जाति मीणा निवासीगण हाथी दीलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवाई (पूर्व बैंक एसबीबीजे कवाई) तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मुकेश कुमार यादव प्रतिवादी क्रम 1 ता 3

विद्वान अभिभाषक श्री हरिशचन्द्र हाडा प्रतिवादी क्रम 4

मिनजानित मुदई रूबरू .....ग.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। आराजी ग्राम दिलोदहाथी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 336 पुराना 329 के ख0नं0 861 रकबा 0.22 है0 पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे में दखलंदाजी नही करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....ग..... मुबालिक .....ग..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....ग..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....ग..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.09.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0

महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)